समाहरणालय, मुंगेर।

जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,

पत्रांक………/सा0सु0को0दिनांक……………

प्रेषक,

सहायक निदेशक,
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,
मुंगेर।

सेवा में

सहायक निदेशक,
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मुंगेर।
सभी अनुमंडल पदाधिकारी, मुंगेर।
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुंगेर।

विषय :- राज्य योजनान्तर्गत इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना **''सामान्य घटक''** के अधीन कार्यालय व्यय मद अन्तर्गत राशि का उपावंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशक,सामाजिक सुरक्षा,बिहार/पटना के पत्रांक 39 दिनांक 28.06.13 के द्वारा राज्य योजनान्तर्गत इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के **''सामान्य घटक''** के अधीन कार्यालय व्यय मद में मो0-15,00,000=00(पन्द्रह लाख) रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ है,जिसे निम्न प्रकार से उपावंटित किया जाता है :-

क्र0	पदाधिकारी/प्रखंड का नाम	उपावंटित राशि **(सामान्य घटक)**	अभि0
1	2	3	4
1	सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मुंगेर।	7,50,000=00	
2	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर।	1,00,000=00	
3	अनुमंडल पदाधिकारी, खड़गपुर।	1,00,000=00	
4	अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर।	1,00,000=00	
5	प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर	50,000=00	
6	प्रखंड विकास पदाधिकारी, जमालपुर	50,000=00	
7	प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरियारपुर	50,000=00	
8	प्रखंड विकास पदाधिकारी, धरहरा	50,000=00	
9	प्रखंड विकास पदाधिकारी, खड़गपुर	50,000=00	
10	प्रखंड विकास पदाधिकारी, टेटिया-बम्बर	50,000=00	
11	प्रखंड विकास पदाधिकारी, तारापुर	50,000=00	
12	प्रखंड विकास पदाधिकारी, संग्रामपुर	50,000=00	
13	प्रखंड विकास पदाधिकारी, असरगंज	50,000=00	
	कुल :-	15,00,000=00	

(पन्द्रह लाख) रूपये।

उपर्युक्त आवंटन राज्य योजनान्तर्गत इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना **''सामान्य घटक''** के कार्यालय व्यय के अधीन माँग संख्या-51,मुख्य शीर्ष-2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,उप मुख्य शीर्ष-03-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम लघुशीर्ष-101 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना,उप शीर्ष-0101-इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना,विषय शीर्ष-13-01 कार्यालय व्यय,विपत्र कोड संख्या-**P-2235031010101** तथा स्कीम कोड-**WEL**- 5498 के अधीन चालू वित्तीय वर्ष-2013-14 के लिये आवंटन किया जा रहा है।

(2) आवंटित राशि का व्यय पूर्व में उपलब्ध कराये गये विभागीय पत्रांक-2142 दिनांक-17.10.11 द्वारा निर्गत **NSAP** की मार्गदर्शिका में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप राज्य सरकार के व्यय नियमावली के अधीन ही किया जाय।

(3) निदेशालय द्वारा संचालित विभिन्न योजना के अनुश्रवण हेतु इस मद से भाड़े पर वाहन,डाटावेश का कम्प्यूटर राईजेशन इत्यादि कार्यो के लिये राशि को खर्च किया जाय।

(4) इस मद में व्यय किये गये राशि से सम्बंधित व्यय प्रतिवेदन 15 मार्च 2014 तक निश्चित रूप से जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,मुंगेर को उपलब्ध कराया जाय,ताकि ससमय निदेशालय को व्यय प्रतिवेदन भेजा जा सके।

(6) बिहार कोषागार संहिता के नियम 84 के तहत आपको उपावंटित की गई राशि की निकासी हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

(5) आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/डी0सी0विपत्र उपलब्ध कराया जाय ताकि उक्त प्रतिवेदन महालेखाकार,बिहार/पटना को उपलब्ध कराया जा सके।

(6) आवंटित राशि से अधिक राशि का व्यय नही किया जाय। अधिक व्यय होने पर इसकी सम्पूर्ण जवावदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। उपर्युक्त निदेशों का कृपया दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

सहायक निदेशक,
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,
मुंगेर।

ज्ञापांक 572/सा0सु0को0दिनांक 18.9.13

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी,मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- NIC मुंगेर को सूचनार्थ एवं मुंगेर के वेवसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

सहायक निदेशक, 19.9.2013
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,
मुंगेर।

D:\GOOD\Adss.collectorate munger 11-02-13.docx